



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 507]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 16, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. ए 3-16-2010-1-पांच (42).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-16-2010-1-पांच (34), दिनांक 22 सितम्बर 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द और कोष्ठक “उपखण्ड (दो)” के स्थान पर, शब्द और कोष्ठक “उपखण्ड (एक)” स्थापित किए जाएँ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. ए 3-16-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-16-2010-1-पांच (42), दिनांक 7 दिसम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 7th December 2012

No. F A-3-16-2010-1-V (42).—In exercise of the powers conferred by Section 20-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-A-3-16-2010-1-V-(34), dated 22nd September 2012, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, for the words and bracket “sub-clause (ii)”, the words and bracket “sub-clause (i)” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. K. JAIN, Dy. Secy.